उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या-क0नि0-2-1109/ग्यारह–9(114)/12–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(117)–2014
दिनांक: 04 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–दो में दिनांक 05 सितम्बर, 2014 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

अनुसूची–दो में, भाग–क में, क्रम संख्या 140 पर अंकित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:–

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
140	नान शिड्यूल्ड एअर लाईन्स द्वारा केवल उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर संचालित वायु सेवा हेतु उड़ान के समय अधिकतम चालीस हजार किलोग्राम भार तक के वायुयान को विक्रीत एविएशन टर्बाइन फ्यूल।
141	समस्त अन्य घोषित माल।

आज्ञा से,

(एस0 एन0 प्रसाद)
सचिव।